भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1413
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभार्थी

1413. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
श्री मुरारी लाल मीना:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:
डॉ. नामदेव किरसान:
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रशिक्षित कृषि सखी , पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की कुल संख्या का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के तहत दलित और आदिवासी महिला लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के तहत समर्थित सूक्ष्म उद्यमों की कुल संख्या तथा उनकी वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और कुल संख्या कितनी है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन प्रशिक्षणों में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षित कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी और बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी की कुल संख्या और राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अक्टूबर, 2025 तक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किए गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सदस्यों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम की एक उप-योजना स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है जो स्वयं सहायता समूह और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है।

देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नवंबर, 2025 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कुल संख्या 914 है। नवंबर, 2025 तक कुल 39,469 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी और बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी शामिल हैं।

अनुबंध-I

"डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभार्थी" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1413 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रशिक्षित कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी और बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि सखी	पशु सखी	बैंक सखी	बैंकिंग करेस्पोंडेंट और डीजी पे सखी	बीमा सखी
1	अंडमान निकोबार	21	23	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	20613	18491	4149	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	3710	2274	133	110	79
4	असम	4874	5011	1971	5227	810
5	बिहार	10529	8022	3512	6441	0
6	छत्तीसगढ	10996	10976	1514	4414	585
7	गुजरात	17736	16014	102	52	59
8	गोवा	40	23	3603	7346	748
9	हरियाणा	775	881	233	2275	565
10	हिमाचल प्रदेश	1224	1224	857	709	645
11	जम्मू एवं कश्मीर	1675	1134	299	2017	0
12	झारखंड	13463	12337	1692	5855	3767
13	कर्नाटक	9196	9146	415	5630	4436
14	केरल	4590	2493	1049	1034	1025
15	लद्दाख	61	60	28	26	0
16	मध्य प्रदेश	8903	8628	3231	12736	1607
17	महाराष्ट्र	10232	7868	2329	14739	337
18	मणिपुर	372	359	120	185	354
19	मेघालय	3491	1906	396	898	150
20	मिजोरम	554	542	94	320	64
21	नागालैंड	866	604	142	432	85
22	ओडिशा	9567	8568	2448	2204	2448
23	पुदुचेरी	163	170	0	0	0
24	पंजाब	4127	1369	877	1604	877
25	राजस्थान	14734	14228	2871	13090	1137

26	सिक्किम	191	183	147	127	197
27	तमिलनाडु	14338	6607	0	4112	0
28	तेलंगाना	3000	2491	991	3085	211
29	त्रिपुरा	2209	2247	646	724	648
30	उत्तराखंड	802	871	11147	45183	0
31	उत्तर प्रदेश	9850	8545	1244	3045	38
32	पश्चिम बंगाल	4843	12250	3494	4754	5980
	कुल	**187745**	**165545**	**49734**	**148374**	**26852**

"डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभार्थी" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1413 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- II

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों में संगठित किए गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सदस्यों का राज्यवार ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या	अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	11	451
2	आंध्र प्रदेश	1748629	549875
3	अरुणाचल प्रदेश	815	85984
4	असम	395501	694655
5	बिहार	2956778	512771
6	छत्तीसगढ	408188	1130473
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव	465	14539
8	गोवा	1079	7207
9	गुजरात	283946	820762
10	हरियाणा	291303	4955
11	हिमाचल प्रदेश	106526	19073
12	जम्मू और कश्मीर	102254	76287
13	झारखंड	583401	1063256
14	कर्नाटक	597761	291437
15	केरल	419011	71623
16	लद्दाख	63	12975
17	लक्षद्वीप	3	3869
18	मध्य प्रदेश	1088260	1969604
19	महाराष्ट्र	882572	968403
20	मणिपुर	5728	49974
21	मेघालय	4263	370160
22	मिजोरम	169	69939
23	नागालैंड	168	114460
24	ओडिशा	1061622	1328182
25	पुदुचेरी	13326	231
26	पंजाब	401614	354

27	राजस्थान	811730	888257
28	सिक्किम	3235	19269
29	तमिलनाडु	1155634	79657
30	तेलंगाना	824432	497303
31	त्रिपुरा	108896	162666
32	उत्तर प्रदेश	3249925	156552
33	उत्तराखंड	127986	30356
34	पश्चिम बंगाल	3883561	829890
	कुल	**21518855**	**12895449**

"डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभार्थी" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1413 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एसवीईपी की प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसवीईपी के तहत अनुमोदित ब्लॉक की संख्या	एसवीईपी के तहत सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14	27692
2	अरुणाचल प्रदेश	1	735
3	असम	49	20388
4	बिहार	32	35899
5	छत्तीसगढ	25	23403
6	गोवा	3	2128
7	गुजरात	11	5940
8	हरियाणा	8	9854
9	हिमाचल प्रदेश	9	1507
10	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	14	6026
11	झारखंड	44	34481
12	कर्नाटक	20	4171
13	केरल	43	45371
14	मध्य प्रदेश	26	29791
15	महाराष्ट्र	18	11145
16	मणिपुर	6	2465
17	मेघालय	6	1619
18	मिजोरम	4	2591
19	नागालैंड	4	4503
20	ओडिशा	17	18441
21	पंजाब	3	4255
22	राजस्थान	23	12086
23	सिक्किम	1	963
24	तमिलनाडु	10	5316
25	तेलंगाना	22	18959
26	त्रिपुरा	9	2244
27	उत्तर प्रदेश	27	30162
28	उत्तराखंड	10	4717

29	पश्चिम बंगाल	31	28938
30	पुदुचेरी*	1	0
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह*	1	0
	कुल	**492**	**395790**

* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।